विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/368 दुर्ग, दिनांक - 15/10/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 177
दिनांक: 01/09/2026

मेसर्स वर्धमान फोर्ड,
प्रोपराइटर श्री सिद्धार्थ वैद्य,
एन.एच.–6, जी.ई. रोड, कुम्हारी,
जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
बी.पी. क्रमांक रू 1000153138

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (सं./सु.) संभाग,
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., अहिवारा।
2. सहायक अभियंता, कुम्हारी उपसंभाग,
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमिटेड।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 14/10/2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तुत परिवाद में आवेदक द्वारा शिकायत की गई है कि उसके परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के पश्चात जारी विद्युत देयकों में सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत यूनिट तथा नेट मीटर के माध्यम से दर्ज विद्युत खपत का उचित समायोजन नहीं किया जा रहा है। अतः आवेदक द्वारा जारी विद्युत देयकों की जांच कर आवश्यक संशोधन किए जाने की मांग की गई है।

O/C

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन गैर–घरेलू श्रेणी के अंतर्गत स्थापित है, जिसका बी.पी. क्रमांक 1000153138 है तथा स्वीकृत भार 100 अश्वशक्ति अर्थात 75 किलोवाट है।

2. आवेदक के परिसर में 50 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है तथा उक्त संयंत्र को दिनांक 30.05.2026 को ऊर्जीकृत किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि उसके परिसर में 50 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के पश्चात सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत यूनिट का जारी विद्युत देयकों में उचित समायोजन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा समस्या के निराकरण हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की गई।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में मई, जून एवं जुलाई 2026 के विद्युत देयक प्रस्तुत किए गए हैं।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि उसके परिसर में स्थापित नेट मीटर एवं सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर के गुणांक सही नहीं हैं, जिसके कारण विद्युत देयकों की गणना त्रुटिपूर्ण हो रही है।

अतः आवेदक द्वारा विद्युत देयकों की जांच कर नियमानुसार संशोधन किए जाने की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के अनुसार, उपभोक्ता क्रमांक 1000153138, उपभोक्ता श्री सिद्धार्थ वैद्य के परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र को दिनांक 30.05.2026 को ऊर्जीकृत किया गया।

उक्त परिसर में पूर्व से स्थापित जीनस स्मार्ट मीटर, क्रमांक G4698960, को नेट मीटर के रूप में परिवर्तित किया गया तथा मीटर स्थापना संबंधी अभिलेख में उक्त मीटर का गुणांक 40 अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु लेडिस कंपनी का सी.टी. मीटर, क्रमांक L0342073, गुणांक 30 के साथ स्थापित किया गया।

अनावेदकगण द्वारा माह जून 2026 की रीडिंग के संबंध में बताया गया कि सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर का पूर्व वाचन 3542 तथा वर्तमान वाचन 3747 था। इस प्रकार कुल अंतर 205 यूनिट तथा गुणांक 30 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन 6150 यूनिट हुआ।

इसी माह नेट मीटर का पूर्व वाचन 342 तथा वर्तमान वाचन 475 बताया गया, जिससे कुल अंतर 133 तथा गुणांक 40 के अनुसार विद्युत खपत 5320 यूनिट हुई। इसके अतिरिक्त, ग्रिड में निर्यात की गई विद्युत ऊर्जा का पूर्व वाचन 0 तथा वर्तमान वाचन 46 था। इस प्रकार गुणांक 40 के अनुसार कुल निर्यात 1840 यूनिट हुआ।

अनावेदकगण के अनुसार, माह जुलाई 2026 में नेट मीटर का पूर्व वाचन 475 तथा वर्तमान वाचन 672 था, जिससे गुणांक 40 के अनुसार कुल विद्युत खपत 7880 यूनिट हुई। इसी माह सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर का पूर्व वाचन 3747 तथा वर्तमान वाचन 3843 था, जिससे गुणांक 30 के अनुसार कुल उत्पादन 2880 यूनिट हुआ। ग्रिड में निर्यात की गई विद्युत ऊर्जा का पूर्व वाचन 46 तथा वर्तमान वाचन 51 था, जिससे गुणांक 40 के अनुसार कुल निर्यात 200 यूनिट हुआ।

अनावेदकगण का यह भी कथन है कि सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपयोग एवं ग्रिड में निर्यात इन्वर्टर की कार्यप्रणाली तथा उपभोक्ता की तत्कालीन विद्युत मांग पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की मांग से अतिरिक्त उत्पादित विद्युत ऊर्जा ग्रिड में निर्यात हो जाती है।

अनावेदकगण द्वारा दिनांक 21.09.2026 की एस.टी.एम. संभाग (ग्रामीण) की निरीक्षण रिपोर्ट तथा दिसंबर 2018 से मार्च 2026 तक के बिलिंग संबंधी अभिलेख एवं गणना पत्रक भी प्रस्तुत किए गए हैं।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं :–

1. क्या आवेदक के परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के पश्चात जारी विद्युत देयकों में विद्युत खपत एवं सौर ऊर्जा उत्पादन/निर्यात का सही आकलन किया गया है?

2. क्या आवेदक के परिसर में स्थापित नेट मीटर एवं सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर के गुणांक सही हैं तथा उनके आधार पर की गई गणना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों के कथनों, प्रस्तुत विद्युत देयकों, मीटर रीडिंग संबंधी अभिलेखों, गणना पत्रकों तथा एस.टी.एम. संभाग (ग्रामीण) की निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत निम्नलिखित तथ्य सामने आए :–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, माह जून 2026 में आवेदक के परिसर में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा कुल 6150 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया तथा नेट मीटर के माध्यम से दर्ज विद्युत खपत 5320 यूनिट थी। उक्त माह में ग्रिड में निर्यात की गई विद्युत ऊर्जा 1840 यूनिट दर्शाई गई है।

आवेदक को जारी जून 2026 के विद्युत देयक का अवलोकन करने पर नेट मीटर का प्रारंभिक वाचन 109 तथा अंतिम वाचन 475 अंकित पाया गया है। इस आधार पर गुणांक 40 के अनुसार विद्युत खपत 14640 यूनिट दर्शाई गई है।

इसके विपरीत, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं मीटर रीडिंग संबंधी अभिलेखों में उसी माह नेट मीटर का प्रारंभिक वाचन 342 तथा अंतिम वाचन 475 बताया गया है। इन वाचनों के अनुसार गणना निम्नानुसार है :–

– प्रारभिक वाचन : 342

– अंतिम वाचन : 475

– वाचन का अंतर : 133

– मीटर गुणांक : 40

– कुल विद्युत खपत : 133 × 40 = 5320 यूनिट।

इस प्रकार, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग के अनुसार जून 2026 की वास्तविक दर्ज विद्युत खपत 5320 यूनिट होती है, जबकि जारी विद्युत देयक में 14640 यूनिट की खपत दर्शाई गई है।

दोनों गणनाओं के मध्य अंतर 9320 यूनिट है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जून 2026 के विद्युत देयक में 9320 यूनिट की अतिरिक्त खपत दर्शाई गई है।

यह विसंगति विद्युत देयक में अंकित प्रारंभिक वाचन तथा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग संबंधी अभिलेखों के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए जून 2026 के विद्युत देयक का नियमानुसार पुनर्गणना कर संशोधन किया जाना आवश्यक है।

फलस्वरूप, विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आवेदक के पक्ष में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.09.2026 की एस.टी.एम. संभाग (ग्रामीण) की निरीक्षण रिपोर्ट तथा संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उक्त अभिलेखों के अनुसार, आवेदक के परिसर में स्थापित नेट मीटर एवं सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर का निरीक्षण किया गया तथा दोनों मीटर के गुणांक सही पाए गए हैं।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मीटर के गुणांक गलत होने संबंधी आवेदक की आपत्ति प्रमाणित नहीं होती। इस संबंध में आवेदक का कथन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

फलस्वरूप, विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आवेदक के पक्ष में नहीं दिया जाता है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना, निष्कर्ष एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक मेसर्स वर्धमान फोर्ड द्वारा प्रस्तुत परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

2. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के माह जून 2026 के विद्युत देयक की पुनर्गणना अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नेट मीटर के प्रारंभिक वाचन 342 एवं अंतिम वाचन 475 तथा लागू मीटर गुणांक 40 के आधार पर की जाए। उक्त गणना के अनुसार विद्युत खपत 5320 यूनिट निर्धारित करते हुए जारी देयक में दर्शाई गई अतिरिक्त 9320 यूनिट के संबंध में नियमानुसार विद्युत बिल में आवश्यक संशोधन किया जाए।

3. संशोधित देयक तैयार करते समय लागू टैरिफ, नियमानुसार देय अन्य शुल्क तथा सौर ऊर्जा से संबंधित लागू समायोजन को ध्यान में रखा जाए। संशोधित देयक में उपभोक्ता के विरुद्ध देय राशि की गणना स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए।

4. उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप यदि आवेदक के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा होना जाना पाया जाता है, तो उसका समायोजन लागू नियमों के अनुसार किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष लागू प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश पारित।

8. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

o/c

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग